

दिनांक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

1-7-24

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 26-7-24 को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

26-7-24

पत्रावली पेश हुई क्लीक प्राथीगण उपस्थित, विपक्षीगण के
सम्मन बाद तामिल लेकर डिप्टी दिवाँ के माध्यम से प्राप्त
हुआ जिले शाह पत्र किये गये। विपक्षीगण को पिकेवकी बाद
रुक-रुक कर आवाणे दिलायी जाने के बाद की उपस्थित
भरी। इनके विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही किये जाने का
आदेश दिया जाता है। क्लीक प्राथीगण का शाह पत्र
स्वीकार किया जाकर छिर्वा पत्रक से लिया जाकर
शाह पत्र किये गये। पत्रावली के सब श्रुमार लेकर
नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय
अधिकारी
दफ्तरीय
मं. कार.

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठारीय अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 252/24 प्राण्य

1- अज्ञात पी. लेटर जाट निवासी-दाता कला तहसील-गाण्डल (कैला)

प्राश

बनाम

1- श्रीमती उगमी लोश्री पन्ना जाट निवासी-दाता कला तहसील-गाण्डल (कैला)
(प्रमाणित प्रोपत्र सलंग)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956

दिनांक- 26.7.24


::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दाता कला पटवार हल्का दाता कला तहसील गाण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 1882/814 कुल कित्ता 01 रकबा 0.2529 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुत्तदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01-07-24 को पंजीयत किया जाकर प्रकरण की अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम दाता कला पटवार हल्का दाता कला तहसील गाण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 1882/814 कुल कित्ता 01 रकबा 0.2529 हेक्टेयर भूमि के दारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक 105ल को 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खेती होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल गिन्ना भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार गाण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल गिन्ना भीलवाड़ा